रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22102022-239849
SG-DL-E-22102022-239849

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 476] दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 21, 2022/आश्विन 29, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 312
No. 476] DELHI, FRIDAY, OCTOBER 21, 2022/ASVINA 29, 1944 [N. C. T. D. No. 312

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2022

F.No.5968/TO(S)/2021-22/8448-55:- दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पूर्व अंसारी नगर परिसर में 56.12 हेक्टेयर और दक्षिण अंसारी नगर परिसर में 6.05 हेक्टेयर भूमि को विश्व स्तरीय चिकित्सा विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में परिवर्तित करने के लिए एम्स नई दिल्ली के मास्टर प्लान के कार्यान्वयन हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 62.17 हेक्टेयर लगभग क्षेत्रफल को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से छूट प्रदान करते हैं।

परियोजना का नाम और स्थान	परियोजना स्थल पर वृक्षों की कुल संख्या	बचाए जाने वाले वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
			प्रत्यारोपण हेतु	काटे जाने वाले	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
विश्व स्तरीय चिकित्सा विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में परिवर्तित करने के लिए	2395	252	1512	631	2143	21430

एम्स नई दिल्ली के मास्टर प्लान के कार्यान्वयनहेतु।						
योग	**2395**	**252**	**1512**	**631**	**2143**	**21430**

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण / वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधो की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	दक्षिण वन प्रभाग द्वारा 2143 का प्रतिपूरक वृक्षारोपण (10x2143= 21430 अर्थात वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटे जाने वाले वृक्षो का दस गुना) प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, देसी कीकर, अर्जुन एवं अन्य देशी प्रजातियाँ का आरक्षित वन भूमि पर, आया नगर दिल्ली में किया जाएगा (26 हेक्टेयर क्षेत्र)।	21430	12,21,51000/-	उप–वन संरक्षक (दक्षिण)/वृक्ष अधिकारी
(ख)	उपभोगी संस्था द्वारा परियोजना स्थल से 1512 वृक्षों का प्रत्यारोपण 6 हेक्टेयर क्षेत्र में सुल्तानपुर डबास, दिल्ली के राजस्व गांव में स्वयं की लागत पर किया जाएगा।			

नियम एवं शर्तें

1. **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स),** जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है,कोसात वर्षोंकी अवधि के लिए पौधों के सम्पूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतुउपरोक्तानुसार12,21,51000/-रुपये (बारह करोड़ इक्कीस लाख इक्यावन हजार मात्र @ रु. 57000/- प्रति वृक्ष)की राशि अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी और यदि उपभोगी संस्था द्वारा 2, 3 और 4 में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो इस राशिकोजब्त कर लिया जाएगा और इस राशि को वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा।

2. **उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षोंका प्रत्यारोपण /कटाई शुरू करने से पहले पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें:-**

 a. दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के अनुपालन में उपभोगी संस्था द्वारा संबंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक (दक्षिण) को विस्तृत वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रस्तुत प्रस्तुत किया जाएगा।

 b. उपभोगी संस्था द्वारा साइट की तैयारी और वृक्षारोपण के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत किया जाएगा।

 c. उपभोगी संस्था केद्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वृक्षो की कटाई/ प्रत्यारोपण से पूर्व कोई लंबित मुकदमेबाजी या स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय / अन्य प्राधिकरण द्वारा पारित न हुआ हो।

 d. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को कटाई/ प्रत्यारोपण का कार्य सभी वैधानिक मंजूरियों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा।

 e. उपभोगी संस्था के द्वारा वनमंजूरी में और अन्य मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों शर्तों, यदि कोई हो, का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा।

3. **वृक्षों के प्रत्यारोपण/कटाई के दौरान पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें:-**

 a. क्र.सं. 2 में शर्तों के संतुष्ट होने के तुरंत बाद उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो का प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा और इसे छ:महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा। प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण

रिपोर्ट वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक¼दक्षिण)को प्रस्तुत की जायेगी । प्रत्यारोपण स्थल मे प्रत्यारोपित वृक्षो की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए ।

b. उपभोगी संस्था के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा ।

c. उपभोगी संस्था द्वारा 631 वृक्षों को काटने से पूर्व प्रत्यारोपण किया जाएगा । 631 वृक्षों की अनुमति 1512वृक्षो के सफल प्रत्यारोपण और वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक (दक्षिण) को अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद दी जायेगी।

d. प्रत्यारोपण /कटाई की प्रगति रिपोर्ट संबंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक¼दक्षिण)को वृक्षों के पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

e. यदि किसी वृक्ष में पक्षियों का घोंसला पाया जाता है तो उसे तब तक नहीं काटा/ प्रत्यारोपण किया जाएगा जब तक कि पक्षी उसे छोड़ न दें।

f. उपभोगी संस्था द्वारा 2143वृक्षो के अलावा किसी भी वृक्ष की कटाई / प्रत्यारोपण दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994के अन्तर्गत एक अपराध होगा।

g. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को हटाए जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्तधन राशि को सरकार के खाते मे राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।

h. उपभोगी संस्थाद्वारावृक्षों के ऊपरी शाखाओंको काटे जाने केउपरान्त प्राप्तलकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौपी जाएगीऔर इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी / उप-वन संरक्षक (दक्षिण) को भी दी जाएगी।

i. उपभोगी संस्थाद्वारावृक्षो को हटाए जाने के स्थल से लकड़ियों को को ले जाने से पूर्व वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक (दक्षिण) से हुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

j. उपभोगी संस्थाद्वारावृक्षो की प्रत्यारोपण/ कटाई और उसमें पैदा होने वाली वन उपज को सार्वजनिक श्मशान मे 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा ।

k. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।

l. उपभोगी संस्था के द्वारा वनमंजूरी में और अन्य मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों शर्तों, यदि कोई हो, का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा ।

m. उपभोगी संस्था के द्वारा अनुमोदित वृक्ष संरक्षण योजना के अंतर्गतप्रस्तुत सभी गतिविधियों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा ।

n. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वृक्षप्रत्यारोपण नीति 2020 की धारा 4 (6-बी) के अंतर्गतसभी प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन किया गया है और इसका विवरण वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक (दक्षिण) को प्रस्तुत किया जाएगा ।

o. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी प्रतिरोपित वृक्षों के लिए जो 15 फीट ऊंचाई और कम से कम 6 इंच व्यास वाले स्वदेशी वृक्ष प्रजातियों में जीवित नहीं रहपाते हैं, तो उन्हें 1:5 के अनुपात में लगाया जाएगा । आवश्यक अतिरिक्त भूमि उपभोगी संस्था द्वारा प्रदान की जाएगी और वृक्षारोपण स्वयं की लागत पर किया जाएगा।

4. वृक्ष अधिकारी/ उप- वन संरक्षक द्वारा सफलतापूर्वक वृक्षारोपण और सुरक्षा जमा राशि जारी करने पर विचार करने के लिए आवश्यक शर्तें:-

a. उपरोक्त तालिका 1 (क) और (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 21430 पौधो का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षो तक रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी।

b. 2143 वृक्षों के प्रत्यारोपण/ काटे किए जाने के बदले मे 1:10 के अनुपात मे स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले 21430 पौधो का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा ।

वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा और अग्रिम सात (7) वर्षों के लिए रखरखाव तथा उसके बादउनका रखरखाव उपभोगी संस्था द्वाराअपनी स्वयं की लागत पर किया जाएगा।

c. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यो के लिए राज्य सरकारकी स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।

d. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षारोपण पत्रिका को वन और वन्यजीव विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्धारित करेंगी और इसकी एक प्रति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक (दक्षिण) को प्रस्तुत की जाएगी।

e. भूमि स्वामित्व एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण न हो।

f. उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ प्रत्यारोपण स्थल में मृदा नमी संरक्षण कार्य की गतिविधियों को किया जाएगा।

g. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

5. 2143 वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटने के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षों और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 21st October, 2022

F.No.5968/TO(S)/2021-22/8448-55.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 62.17 ha approx.involving 56.12 ha for land in East Ansari Nagar Campus & 6.05 ha in South Ansari Nagar campus for implementation of Master Plan of AIIMS New Delhi to convert it into World Class Medical University, New Delhifrom the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Name of the Project	Total No, of trees at the project site.	No. of trees to be saved	Number of trees (recommended for)			Compensatory Plantation by User Agency (Number of trees)
			Transplant ation	FSSelling	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
Implementation of Master Plan of AIIMS New Delhi to convert it into World Class Medical University, New Delhi.	2395	252	1512	631	2143	21430
Total	**2395**	**252**	**1512**	**631**	**2143**	**21430**

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

SN	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be deposited with Forest Division.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for felling/ transplantation of 2143 no. of trees i.e number of tree saplings proposed to be planted of species Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad, DesiKikar and Arjun along with other native species shall be carried out by South Forest Division at Reserve Forest Land, Aya Nagar (26 ha area).	21430	12,21,51000/-	Tree Officer /Deputy Conservator of Forests (South)
(b)	Transplantation of 1512 numbersof trees which are standing on site shall be done by User Agency at Revenue Village of SultanpurDabas, Delhi in 6 ha area with their own funds.			

TERMS & CONDITIONS

1. **All India Institute of Medical Sciences (AIIMS)** herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs.**12,21,51000/-** (Rupees Twelve Crore Twenty One Lakh Fifty One Thousand Only @ Rs. 57000/- per tree) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven (7) years and the same shall be forfeited and utilized for plantation by the Forest Department if terms and conditions mentioned at 2, 3 & 4 are not followed by User Agency.

2. **The conditions required to be fulfilled before starting transplantation / felling of trees by User Agency:-**

 a. Detailed plantation schedule shall have to be submitted by User Agency to Tree Officer/ Deputy Conservator of forests (South) in compliance with Section-12 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994.

 b. User Agency shall submit a detailed plan for site preparation and plantation.

 c. The User Agency shall ensure that there is no pending litigation or stay order passed by any court of law/ other authority before undertaking felling/ transplantation of trees.

 d. Before the removal of trees from the site is commenced, all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.

 e. It should be ensured by the User Agency that all the conditions mentioned in Forest clearance and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.

3. **The conditions required to be fulfilled during the transplantation / felling of trees:-**

 a. Transplantation of trees shall be initiated immediately after conditions in point no. 2 is satisfied and should be completed not later than six (06) months of such date, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer / Deputy Conservator of Forests (South). The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.

 b. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy, 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.

c. The transplantation shall be carried out prior to felling of 631 nos. of trees permitted herein. The 631 trees shall be removed / felled after successful transplantation of 1512 trees and submission of compliance certificate to Tree Officer / Deputy Conservator of Forests (South).

d. The progress report of transplantation / felling shall be submitted through inspection officer to concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests (South) along with complete details of trees.

e. If any tree is found to have nest of birds it should not be felled / transplanted till the same is abandoned by the birds.

f. Transplantation / felling of any tree apart from 2143 trees by User Agency shall constitute an offence under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994.

g. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.

h. The lops& tops of the trees shall be sent / supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to Tree Officer / Deputy Conservator of Forests (South) by User Agency.

i. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the Tree Officer / Deputy Conservator of Forests (South) by User Agency.

j. Transplantation / felling of trees and transportation of forest produce arising there from to the public crematorium shall be completed within 90 days.

k. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.

l. It should be ensured by the User Agency that all the conditions mentioned in forest clearance and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.

m. All activities as submitted under approved Tree Preservation Plan should be followed scrupulously.

n. It must be ensured that all provisions under section 4 (6-b) of Tree Transplantation Policy, 2020 have been followed and details of the same should be submitted to Tree Officer / Deputy Conservator of Forests (South) concerned.

o. User Agency must ensure that, for all transplanted trees that do not survive indigenous tree species with 15 feet height and at least 6 inch diameter is planted in 1:5 ratio. The excess land required should be provided by User Agency & plantation has to be done at own cost.

4. The conditions required to be fulfilled for considering successful plantation & release of Security Deposit by the Tree officer:-

a. 100% Compensatory Plantation of 21430 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency for Seven years and monitored till its successful establishment as mentioned on table above.

b. 21430 tree saplings of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of transplantation/ felling 2143 numbers of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance for next Seven (7) years shall be carried out there after by User Agency with their own funds.

c. The land over which compensatory plantation/ Tree transplantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of the State Government.

d. User Agency shall maintain plantation journals as prescribed by Department of Forests and Wildlife, Government of National Capital Territory of Delhi and a copy of the same shall be submitted to the Tree Officer / Deputy Conservator of Forests (South) at the end of every financial year.

e. Land Owning agency shall ensure that there is no encroachment in area proposed for compensatory plantation/ transplantation.

f. The User Agency shall implement the improved soil moisture conservation activities on compensatory plantation/ transplantation site.

g. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.

5. Permission for transplantation / felling of 2143 numbers of tress is being granted to the User Agency at their own risk and without prejudice the claim(s) of any other person(s) who may be having any right(s) over the land or the trees.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Principal Secy. (Environment and Forests)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA